fogxkoykdu

1. jkT; ds lkoZtfud {ks= ds miØeksa dk fogxkoykdu

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2014, को उत्तर प्रदेश राज्य में 87 कार्यरत पीएसयू (80 कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) और 39 अकार्यरत पीएसयू (सभी कम्पनियाँ) थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत पीएसयू ने ₹ 65,683.38 करोड़ का टर्नओवर किया एवं कुल ₹ 12,223.08 करोड़ की हानि वहन की।

¼çLrj 1-1] 1-2] 1-5 ,oa 1-6½

ih,l;w esa fuos'k

31 मार्च 2014 को 126 पीएसयू में ₹ 1,56,906.28 करोड़ (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) का निवेश था। यह 2008–09 के ₹ 52915.82 करोड़ से 296.53 प्रतिशत बढ़कर 2013–14 में ₹ 1,56,906.28 करोड़ हो गया, जो मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में निवेश वृद्धि के कारण था जो कि 2013–14 में कुल निवेश का 95.76 प्रतिशत लेखांकित किया गया। 2013–14 के दौरान सरकार ने अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 8,338.29 करोड़ का योगदान दिया।

¼çLrj 1-7] 1-8] 1-9 ,oa 1-11½

ih,l;w dk dk;Z lEiknu

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 87 कार्यरत पीएसयू में से, 28 पीएसयू ने ₹ 1,315.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 27 पीएसयू ने ₹ 13,528.11 करोड़ की हानि वहन की। सात कार्यरत पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये जबकि 25 पीएसयू ने कोई लाभ या हानि अर्जित नहीं की। भारी हानि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 3,479.32 करोड़), दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,364.06 करोड़), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,532.84 करोड़), पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,303.35 करोड़) एवं मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,033 करोड़) द्वारा वहन की गयी।

¼çLrj 1-14½

यह प्रतिवेदन दर्शाता है कि राजकीय कार्यरत पीएसयू ने ₹ 339.80 करोड़ की नियंत्रणीय हानियाँ वहन की एवं ₹ 47 करोड़ का निष्फल निवेश किया।

¼çLrj 1-15½

ys[kkvksa ds yEcr vfUrehdj.k vkSj vdk;Zjr ih,l;w dk ifjlekiu

87 कार्यरत पीएसयू में से, केवल चार पीएसयू ने वर्ष 2013–14 के अपने लेखे अन्तिमीकृत किये जबकि सितम्बर 2014 में 83 पीएसयू के 274 लेखे एक से 18 वर्ष की अवधि से बकाया थे। 39 अकार्यरत पीएसयू (सभी कम्पनियाँ) में से, 13 परिसमापन में थीं, और शेष 26 में एक से 31 वर्ष की अवधि के लेखे बकाये थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयू को बन्द करने की कार्यवाही तेज करने की आवश्यकता है।

¼çLrj 1-19] 1-20 ,oa 1-26½

y[kkvk dh x.koRrk

पीएसयू के लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक 33 कार्यरत कम्पनियों के अन्तिमीकृत किये गये 36 लेखाओं में से 33 लेखाओं पर सांविधिक अंकेक्षको द्वारा क्वालिफाइड प्रमाणपत्र, दो लेखाओं पर एडवर्स प्रमाणपत्र और एक लेखे पर डिस्क्लेमर प्रमाणपत्र निर्गत किये गये। लेखांकन मानकों के अनुपालन न करने के 104 मामले दृष्टांत थे। पाँच सांविधिक निगमों द्वारा अन्तिमीकृत किये गये पाँच लेखाओं की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के मध्य सम्पादित की गयी। इनमें से तीन लेखों में, जहाँ भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ही केवल अंकक्षक है, को क्वालिफाईड प्रमाण पत्र निर्गत किये गये। शेष दो लेखों पर सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा एक में क्वालिफाईड व एक में एडवर्स प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

¼çLrj 1-27] 1-28 ,o 1-30½

2- ljdkjh dEifu;k ls lEcfU/kr fu"iknu y[kk ijh{kk

2.1 mÙkj ins'k ou fuxe }kjk ouki t dk lxg.k ,o fuLrkj.k ij fu"iknu y[kk ijh{kk

iLrkouk

उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) की स्थापना नवम्बर 1974 में राज्य में वन के बेहतर संरक्षण, विकास एवं वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन हेतु स्थानीय निकाय के रूप में उत्तरप्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (अधिनियम) के अन्तर्गत हुई थी। निगम के मुख्य क्रिया–कलापों में वनोपज (प्रकाष्ठ, जलौनी, तेन्दू पत्ता, बाँस, जड़ी–बूटी एवं भाभड़ घास) का उत्पादन/संग्रहण एवं निस्तारण सम्मिलित है।

¼iLrj 2-1-1½

निगम के विभिन्न अनुभागों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा नीचे की गयी है:–

Xkky idk"B

- 378 से 1177 लाटों का लॉगिंग कार्य, लॉगिंग वर्ष में प्रारम्भ नहीं हो सका। फलस्वरूप, 3,604 अछूती लाटों पर एवं 2009–10 से 2013–14 के दौरान वन विभाग को आगामी वर्षों में पुनर्आवंटन हेतु वापस की गयी 2,124 लाटों पर उच्च दरों पर रायल्टी का भुगतान करना पड़ा।

¼iLrj 2-1-8½

- निगम ने निर्मित बोटों के आयतन की गणना हेतु क्वाटर गर्थ सूत्र अपनाया जिससे आयतन की गणना, वास्तविक आयतन के 78.60 प्रतिशत पर हुई। हरे एवं सूखे प्रकाष्ठ के लिए भिन्न आधार मूल्य निर्धारित नहीं करने के कारण यह उच्चतर वसूली करने में असफल रहा।

¼iLrj 2-1-9 ,o 2-1-10½

- छः प्रभागों में, वास्तविक उत्पादन अपेक्षित उत्पादन से 15,920 घन मी0 कम रहा जिसके कारण ₹ 15.81 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

¼iLrj 2-1-11½

- पिछले लॉगिंग वर्ष की तुलना में औसत विक्रय मूल्य में वृद्धि से कम दर पर आधार मूल्य पुनरीक्षित करने के कारण निगम, सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में असफल रहा एवं

आधार मूल्य पुनरीक्षित करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

¼izLrj 2-1-15 ,oa 2-1-16½

rsnw iÙkk

● तेंदू पत्ता संग्रहणकर्ताओं को संग्रहण के एक से सात माह बाद भुगतान किया गया। कर्वी एवं रेनुकूट प्रभागों में वर्ष 2009–10 से 2013–14 से संबंधित 13,467 मानक बोरों के लिए ₹ 91.34 लाख के संग्रहण शुल्क का भुगतान अब तक नहीं किया गया।

¼izLrj 2-1-20½

● निगम ने वर्षा प्रभावित तेंदू पत्ता हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किये। तेंदू पत्ता को वर्षा से सुरक्षित करने में असफलता एवं गुणवत्ता में गिरावट के कारण निगम को वर्ष 2011–12 एवं 2013–14 के दौरान वर्षा प्रभावित 24,907 मानक बोरों के सापेक्ष ₹ 2.15 करोड़ की हानि हुई।

¼izLrj 2-1-22½

● रेनुकूट प्रभाग की जिन 20 इकाइयों में मौसम 2012 एवं 2013 में तेंदू कल्चर किया गया था, उनमें से प्रत्येक पॉच इकाईयों में तेंदू पत्ता का उत्पादन तथा प्रति मानक बोरा वजन उनके पिछले तीन वर्षो के तदनुरूप औसत से घटा। कर्वी प्रभाग में तेंदू मौसम 2011 से 2013 में 27 में से 11 इकाईयों में जहाँ तेंदू कल्चर किया गया था, प्रति मानक बोरा औसत वजन उनके संबंधित नियंत्रण इकाइयों के औसत वजन से कम रहा।

¼izLrj 2-1-24½

● निगम तेंदू पत्ता के सम्पूर्ण भण्डार को संबंधित संग्रहण वर्ष में निस्तारित करने में असफल रहा और ₹ 4.49 करोड़ की हानि वहन की।

¼izLrj 2-1-26½

● निगम ने 2010–11 से 2013–14 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को तेंदू पत्ता पर ₹ 201.52 करोड़ की रायल्टी का कम भुगतान किया।

¼izLrj 2-1-27½

vkUrfjd fu;a=.k ,oa vuqJo.k

● निगम की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी नही थी क्योंकि यह न्यूनतम परिधि के बोटों का उत्पादन सुनिश्चित करने में, बूट व प्रथम बोटे की निचली परिधि के माप में अंतर पता लगाने में, उत्पादन के लिए निर्धारित अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करने में तथा पातन के पश्चात् निर्धारित समय में विभाग को साइटें हस्तगत करने में असफल रहा।

¼izLrj 2-1-28½

2.2 fo|qr forj.k dEifu;ksa ds dk;Zdyki ij fu"iknu ys[kk ijh{kk

izLrkouk

उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण का कार्य, पाँच विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) अर्थात् मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (म.वि.वि.नि.लि.) दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (द.वि.वि.नि.लि.), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पू.वि.वि.नि.लि), पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प.वि.वि.नि.लि.) एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) द्वारा किया जाता है। ये डिस्काम्स, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के कार्यकारी एवं ऊर्जा विभाग, उत्तर

प्रदेश शासन के प्रशासकीय नियंत्रण मे ंकार्य करते है। यूपीपीसीएल, डिस्कॉम्स की ओर से विद्युत क्रय करता है और उपभोक्ताओं को वितरण हेतु डिस्कॉम्स को विद्युत उपलब्ध कराता है। यूपीपीसीएल 2009–10 में 75 प्रतिशत एवं 2013–14 में 71 प्रतिशत विद्युत माँग की पूर्ति कर सका।

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित तीन डिस्कॉम्स से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निम्नवत् उल्लिखित हैं:–

e/;kpy fo|qr forj.k fuxe fyfeVsM ¼e-fo-fo-fu-fy-½

- 4878 एमवीए की आवश्यक क्षमता वृद्धि के सापेक्ष, म.वि.वि.नि.लि. ने 2010–14 के दौरान क्रमशः 1500 एमवीए एवं 1138 एमवीए की क्षमता के परिवर्तकों का नियोजन एवं वृद्धि किया जिसकी वजह से मार्च 2014 मे ं3740 एमवीए (77 प्रतिशत) की कमी रही। परिणामस्वरूप, म.वि.वि.नि.लि. के विद्यमान परिवर्तक अतिभारित चल रहे थे और सम्पूर्ण वितरण प्रणाली हेतु खतरा उपस्थित कर रहे थे।

¼iLrj 2-2-7½

- म.वि.वि.नि.लि. ने वितरण परिवर्तकों (डीटी) की मरम्मत हेतु उच्च पैकेज दर प्रदान करने के कारण ₹ 10.26 करोड़ का अधिक व्यय किया और डीटी की मरम्म्त पर वैट मद में ₹ 6.83 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

¼iLrj 2-2-10 ,o 2-2-11½

- लो टेंशन (एलटी) का हाई–टेंशन (एचटी) प्रणाली में परिवर्तन न करने, उपकेन्द्रों (एसएस) पर कैपिसिटर बैंक स्थापित न करने एवं डीटी की मरम्मत हेतु अनुबंधों में निजी मरम्मतकर्ता फर्मों को अधिक भार–हानि अनुमन्य करने के कारण परिचालनीय कार्यकुशलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। 2010–14 के दौरान तकनीकी एवं वाणिज्यिक (टी एण्ड सी) हानियाँ तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक रही जिनका मूल्य ₹ 258.20 करोड़ था।

¼iLrj 2-2-13 l 2-2-16½

- बिलिंग हेतु लागू प्रावधानों का म.वि.वि.नि.लि. ने अनुपालन नहीं किया परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं की बिलिंग ₹ 3.04 करोड़ से कम हुई।

¼iLrj 2-2-18½

nf{k.kkpy fo|qr forj.k fuxe fyfeVsM ¼n-fo-fo-fu-fy-½

- 6262 एमवीए की आवश्यक क्षमता वृद्धि के सापेक्ष, द.वि.वि.नि.लि. ने 2010–14 के दौरान 2152 एमवीए की क्षमता के परिवर्तकों की वृद्धि की जिसकी वजह से मार्च 2014 में 4110 एमवीए (66 प्रतिशत) की कमी रही। परिणामस्वरूप, द.वि.वि.नि.लि. के विद्यमान परिवर्तक अतिभारित चल रहे थे और सम्पूर्ण वितरण प्रणाली हेतु खतरा उपस्थित कर रहे थे।

¼iLrj 2-2-27½

- उच्चदरों पर भूमिगत केबिल डालने का कार्य प्रदान करने, डीटी की मरम्मत का कार्य उच्च पैकेज दर पर प्रदान करने के कारण द.वि.वि.नि.लि. ने ₹ 12.62 करोड़ का अधिक व्यय किया और डीटी की मरम्मत पर मूल्य वर्द्धित कर (वैट) मद में ₹ 4.52 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

¼iLrj 2-2-29 l 2-2-31½

- उपकेन्द्र पर कैपिसिटर बैंक स्थापित न करने एवं डीटी की मरम्मत हेतु अनुबंधों में निजी मरम्मतकर्ता फर्मों को अधिक भार–हानि अनुमन्य करने के कारण परिचालनीय कार्यकुशलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। 2010–14 के दौरान टी एण्ड सी हानियां दो वर्षों में यूपीईआरसी द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक रहीं जिनका मूल्य ₹ 879.17 करोड़ था।

¼izLrj 2-2-32 ls 2-2-34½

- बिलिंग हेतु लागू प्राविधानों का द.वि.वि.नि.लि. ने अनुपालन नहीं किया परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं की बिलिंग ₹ 12.42 करोड़ से अधिक एवं ₹ 98.17 करोड़ से कम हुई।

¼izLrj 2-2-35½

- बुन्देलखण्ड सूखा राहत योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 2013–14 के दौरान संयोजन निर्गत करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 25.58 करोड़ की सब्सिडी द.वि.वि.नि.लि. द्वारा अनुचित रूप से अवरूद्ध रखी गयी एवं ₹ 3.38 करोड़ की सब्सिडी का दुरूपयोग किया गया।

¼izLrj 2-2-41 ls 2-2-42½

iwokZpy fo|qr forj.k fuxe fyfeVsM ¼iw-fo-fo-fu-fy-½

- 8715 एमवीए की आवश्यक क्षमता वृद्धि के सापेक्ष, पू.वि.वि.नि.लि. ने 2010–14 के दौरान क्रमशः 1678 एमवीए एवं 1355 एमवीए की क्षमता के परिवर्तकों का नियोजन एवं वृद्धि किया जिसकी वजह से मार्च 2014 को 7360 एमवीए (84 प्रतिशत) की कमी रही। परिणामस्वरूप, पू.वि.वि.नि.लि. के विद्यमान परिवर्तक अतिभारित चल रहे थे और सम्पूर्ण वितरण प्रणाली हेतु खतरा उपस्थित कर रहे थे।

¼izLrj 2-2-46½

- डी टी की मरम्मत हेतु उच्च पैकेज दर प्रदान करने के कारण पू.वि.वि.नि.लि. ने ₹ 3.34 करोड़ का अधिक व्यय किया और डी टी की मरम्मत हेतु वैट मद में ₹ 6.13 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

¼izLrj 2-2-48 ls 2-2-49½

- एल टी का एच टी प्रणाली में परिवर्तन न करने एवं एसएस पर कैपिसिटर बैंक स्थापित न करने के कारण परिचालनीय कार्यकुशलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। 2010–14 के दौरान, टी एण्ड सी हानियाँ तीन वर्षों में यूपीईआरसी द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक रहीं जिनका मूल्य ₹ 309.46 करोड़ था।

¼izLrj 2-2-50 ls 2-2-52½

3. laO;ogkjksa dh ys[kkijh{kk izs{k.k

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये संव्यवहारों के लेखापरीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव निहित थे। इंगित की गयी अनियमिततायें मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

- ठेकेदार को ₹ 21.60 करोड़ के अनुचित लाभ के चार प्रकरण थे।

(izLrj 3-2] 3-9] 3-14 ,oa 3-15)

- सांविधिक कर्तव्यों के उल्लंघन का ₹ 21.93 करोड़ की राशि का एक प्रकरण था।

(izLrj 3-3)

dN egRoi.k iLrjk d lkjk'k uhp fn; x; g

- mÙkj in'k jktdh; fuek.k fuxe fyfeVM ¼m0i0jk0fu0fu0fy0½ ने लागत सूचकांक के गलत प्रयोग के कारण उप–ठेकेदार को ₹ 11.84 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(iLrj 3-1-2)

- m0i0jk0fu0fu0fy0 ने ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तकों की उच्च दरों पर खरीद के कारण ₹ 17.51 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(iLrj 3-2)

- m0i0jk0fu0fu0fy0 कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अनुसार सीमित करने में विफल रहा परिणामस्वरूप ₹ 21.93 करोड़ का अधिक अंशदान हुआ।

(iLrj 3-3)

- ;0ih0 byDVkfuDl dkikj'ku fyfeVM ने संस्थागत शुल्क के कम दावे एवं आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ की वजह से एक करोड़ रूपये की हानि उठाई।

(iLrj 3-5)

- iokpy fo|r forj.k fuxe fyfeVM द्वारा उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 को रेस्पो दरों, जिसमें वैट सम्मिलित होता है, उनके आधार पर गणना किये गये विद्युत उपकरणों की प्रदत्त दरों पर अतिरिक्त रूप से किये गये ₹ 55 लाख के वैट के भुगतान द्वारा अनुचित लाभ दिया गया।

(iLrj 3-9)

- mÙkj in'k ty fuxe ने जमा की गई बोली में परिवर्तन करने की अनुमति तथा तदोपरान्त सेवा कर एवं प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति से ठेकेदार को ₹ 2.92 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

(iLrj 3-14)